

अपर समाहर्ता का न्यायालय, गोड्डा
RMR No- 10/ 2012

अपीलकर्ता- खगेन्द्र प्रसाद राम

बनाम

• उत्तरवादी- ब्रम्हदेव प्रसाद राम

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील नं0-15/2009-10 ब्रम्हदेव प्रसाद राम वगै0 बनाम् खगेन्द्र प्रसाद राम वगै0 से संबंधित मामला में दिनांक-16.08.2011 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा यह वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया जिसे दिनांक-15.10.2012 को हस्तांतरण के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।


उभय पक्ष के बहस को सुना गया, अभिलेखबद्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अपीलकर्ता उन्ही बातों को दोहराया है जो निम्न न्यायालय में कहा गया है। अपीलकर्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/ सबुत पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि विद्वान भूमि सुधार उप सताहर्ता, गोड्डा द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। वही विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-बलबड्डा, नं0-355 थाना-मेहरमा खाता नं0-16 की विशयगत भूमि रकवा-04-01-17 धूर भूमि का नामांतरण फर्जी है। उक्त नामांतरण वाद आपसी बँटवारानामा के आधार पर किया गया है। परन्तु बँटवारानामा में विपक्षीगण को ना तो पक्षकार बनाया गया और न ही तथाकथित बँटवारा के संबंध में सहमति ली गई। जबकि उभय पक्ष आपस में सहोदर भाई हैं। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसप्रकार निम्न न्यायालय में पारित आदेश युक्ति संगत है। अतः वर्तमान अपील स्वीकार्य योग्य नहीं है इसे खारिज करने का अनुरोध करते हैं।


प्रक्रिया चलने के दौरान उत्तरवादी ब्रम्हदेव प्रसाद राम की मृत्यु दिनांक-10.07.2019 हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पुत्र अजय प्रसाद राम को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया। इस संदर्भ में उत्तरवादी की ओर से पक्षकार बनने हेतु एक आवेदन भी न्यायालय में समर्पित किया है जिसे स्वीकृत किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस को सुना तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस सुनने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के न्यायालय का मुटेशन अपील नं०-15/2009-10 ब्रम्हदेव प्रसाद राम वगै० बनाम् खगेन्द्र प्रसाद राम वगै० से संबंधित मामला में दिनांक-16.08.2011 को पारित आदेश न्यायसंगत है इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होता है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के न्यायालय का मुटेशन अपील नं०-15/2009-10 ब्रम्हदेव प्रसाद राम वगै० बनाम् खगेन्द्र प्रसाद राम वगै० से संबंधित मामला में दिनांक-16.08.2011 को पारित आदेश बरकरार रखते हुए वर्तमान अपीलवाद खारिज किया जाता है असंतुष्ट पक्षकार सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।


14.10.2011
अपर समाहर्ता,
गोड्डा।


14.10.2011
अपर समाहर्ता,
गोड्डा।